न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 03/2023

अनवान : –

1. मीरा देवी पत्नी जयवीर जाति कुम्हार निवारी महराना त0 भादरा।

प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :–श्री विनोद सिगाढिया प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 30/6/23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 7 एमआरएन के खाता सं0 14/14 में प्रार्थीया का 1013/24797 हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का अशुद्व नाम मींरा पत्नी जयवीर दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम मींरा दर्ज होने के कारण प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति हो रही है जबकि प्रार्थीया का सही नाम मींरा देवी है अन्य सभी दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड , बैक पास बुक, परिवार कार्ड, पैन कार्ड आदि में सही नाम दर्ज है। इस प्रकार मींरा नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थीया अपनी खातेदारी का सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रही है। अतः प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्वि करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला हनुमानगढ़)

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम मींरा दर्ज होने के कारण प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति हो रही है जबकि प्रार्थीया का सही नाम मींरा देवी है अन्य सभी दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड , बैक पास बुक, परिवार कार्ड, पैन कार्ड आदि में सही नाम दर्ज है। इस प्रकार मींरा नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज इसलिए न्यायहित में उक्त नाम संशोधन किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वर्तमान मे प्रार्थीया के सभी दस्तावेजात में मींरा देवी नाम दर्ज है। प्रार्थीया के आधार कार्ड, परिवारिक राशन कार्ड, पैन कार्ड आदि में मींरा देवी नाम दर्ज है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा 7 एमआरएन के खाता सं0 14/14 में प्रार्थीया का 1013/24797 हिस्सा दर्ज है में **मींरा पत्नी जयवीर के स्थान पर मींरा देवी पत्नी जयवीर** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करें।

निर्णय आज दिनांक 30/6/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़